

2/15/17

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 81/2017

ललीत कुमार पिता कालूराम मीणा नि. गुदा तह. अराजीन  
बनाम — जमी

- (1) जमना पिता हीरा शीर निवासी. बीगोद
- (2) रामचन्द्र पिता नारन कुमावता निवासी बीगोद
- (3) राजू पिता मनोहर दरेगा निवासी बीगोद
- (4) उमदेवी पालने उदय लाल गुर्जर निवासी - बीगोद  
तह. माण्डलगढ — विपक्षी

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ललीत कुमार पिता कालूराम मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री ~~संजय चौहान~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/कु खाते की भूमि ग्राम बीगोद प0ह0 बीगोद तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~3764/1225 रकबा - 3 बीघा~~

किता 1 रकबा 3 बीघा — बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/ ~~मैस्वातेदार~~ काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~बीगोद~~ की आराजी न0 ~~3764/1225~~ — 3 बीघा

रकबा 3 बीघा — बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 200/-/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

6